

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

आज्ञा

क्रमांक:- स्था.(रा.न्या.से.)सं.प.अ./ 63 /2021

दिनांक 26.03.2021

श्रीमती आँचल अग्रवाल (RJ0672), प्रिंसीपल मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड, अलवर को दिनांक 30.03.2021 से 15.05.2021 तक 47 दिनों का संतान परवरिश अवकाश (Child Care Leave) दिनांक 27.03.2021 से 29.03.2021 एवं 16.05.2021 से राजपत्रित अवकाशों के उपभोग की अनुमति सहित स्वीकृत किया जाता है।

श्रीमती करुणा शर्मा (RJ0766), अति. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम-02, अलवर को श्रीमती आँचल अग्रवाल के उक्त अवकाश अवधि के दौरान अपने पद के कार्य के साथ-साथ प्रिंसीपल मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड, अलवर के पद का अतिरिक्त कार्यभार सम्पादित किये जाने हेतु एतद्वारा पदस्थापित / नियुक्त कर निम्नलिखित निर्देश दिये जाते हैं :-

1. ऐसे प्रकरणों, जिनमें अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में है और उच्चतर न्यायालयों द्वारा समयबद्ध निस्तारण के आदेश पारित हैं, का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण किया जावे।
2. श्रीमती करुणा शर्मा (RJ0766), जिनको प्रिंसीपल मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड, अलवर के अतिरिक्त कार्यभार के लिए नियुक्त किया गया है, को उक्त न्यायालय के कार्य का निस्तारण निर्धारित मापदण्ड के अनुसार कम से कम 40% किया जाना आवश्यक है।

आज्ञा से
25/3/2021

रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)

क्रमांक :- स्था.बी.२(4)/41/2011/ 1975

दिनांक 26.03.2021

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर।
2. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, अलवर को उनके पत्रांक 8582 दिनांक 22.03.2021 के सन्दर्भ में।
3. श्रीमती आँचल अग्रवाल (RJ0672), प्रिंसीपल मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड अलवर।
4. प्रिंसीपल मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड, अलवर।
5. श्रीमती करुणा शर्मा (RJ0766), अति. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम-02, अलवर।
6. अति. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम-02, अलवर।
7. संबंधित कोषालय।
8. संबंधित लिपिक/स्थानान्तरण-पदस्थापन लिपिक, आर. जे. एस. (स्था) शाखा रा.उ.न्या., जोधपुर।

25/3/2021
सहायक रजिस्ट्रार